भारत में तम्बाकू नियंत्रण

समस्याएं और समाधान

डॉ.नरेश पुरोहित

21वीं शताब्दी में तम्बाकू नियंत्रण पूरे विश्व के लिए एक जटिल चुनौती बन सामने खड़ा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा तम्बाकू उत्पादित करने वाले देशों में तीसरे स्थान पर खड़े भारत को इस विकराल दानव की चपेट से बाहर आने के लिए निश्चय ही बहुत संघर्ष करने पड़ेंगे। सरकार के अथक प्रयासों जैसे तम्बाकू के खतरों के प्रति लोगों को आगाह करना, अनेकानेक न्यायिक प्रतिबंधों आदि का प्रभाव दिखना अभी बाकी है। तम्बाकू रहित समाज की नींव हमारी और आपकी स्वतंत्र पहल से ही सम्भव है। प्रस्तुत है भारत में तम्बाकू नियंत्रण में आने वाली कठिनाइयां एवं उनके समाधानों का विश्लेषण...

तम्बाकू उतनी ही प्राचीन प्रतीत होती है जितनी कि मानव सभ्यता। इसकी खेती शायद 7000 सालों से की जा रही है। मेक्सिको व पेरू में पुरातात्विक खोजों में लगभग 3500 ई.पूर्व के आवासीय स्थानों में तम्बाकू के अवशेष पाए गए हैं।

15वीं शताब्दी के अंत तक तम्बाकू का इस्तेमाल किए जाने के दस्तावेजी सबूत उपलब्ध हैं। 1499 में पाया गया था कि वेनेजुएला के मार्गरीटा द्वीप के इंडियन्स एक हरी बूटी को चबाया करते थे जिसे वे अपनी गर्दन के इर्द-गिर्द टंगी एक तुम्बी में रखते थे। माना जाता था कि तम्बाकू नामक इस हरी बूटी को चबाने से प्यास बुझती है। सन 1500 के उत्तरार्द्ध तक दक्षिणी अमरीका में भी तम्बाकू चबाना प्रचलित हो चला था। वेरागुआ (वर्तमान कोस्टारिका) के पुरुष भी सूखे पत्ते चबाते देखे गए थे। सन् 1500 तक तम्बाकू पीना भी आम हो चला था। कोलंबस ने अमरीकी इंडियन्स को मक्के या ताड़ के सूखे पत्तों में मुड़े हुए तम्बाकू के पत्तों को लपेटकर धूम्रपान करते पाया था।

तम्बाकू पाउडर की नसवार के सेवन की प्रथा काफी बाद में आई। तम्बाकू की पत्ती को रोज़वुड की खरड़ में पीसकर नसवार बनाई जाती थी। ब्राज़ील के इंडियन लोग शायद नसवार का सेवन करने वाले सबसे पहले लोग थे। हेटी में तम्बाकू की नसवार का इस्तेमाल नासिका मार्ग को साफ करने व दर्दनाशक दवा के रूप में किया जाता था।

सन् 1519 तक मैक्सिको के इंडियन्स जले व कटे पर दवा के रूप में तम्बाकू पाउडर लगाते थे। साथ ही पिसे हुए

तम्बाकू को **Y** आकार की पाइप में रखकर वे इसके कश का मज़ा लेते रहते। इस पाइप को टोबागो या टोबाका कहा जाता।

भारत में तम्बाकू उत्पादन व उपयोग

आज तम्बाकू की खेती व विभिन्न तरीकों से इसका सेवन पूरे विश्व में किया जाता है। तम्बाकू उत्पादकों में चीन और अमरीका के बाद भारत का नम्बर आता है। भारत में साढ़े चार लाख हेक्टेयर में तम्बाकू की खेती से 45-50 करोड़ किलोग्राम तम्बाकू उत्पादन होता है। सन् 1987 के विश्व तम्बाकू उत्पादन का यह 7.6% हिस्सा है।

1960-61 मे जहां तम्बाकू की पैदावार 750 किलो प्रति हेक्टेयर थी वहीं 1987-88 में यह बढ़कर 1199 किलो प्रति हेक्टेयर तक जा पहुंची (तालिका 1)।

भारत में कई तरह से तम्बाकू का सेवन किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर तम्बाकू उपयोग के आंकड़े तो उपलब्ध

नहीं हैं लेकिन देश के अलग-अलग प्रांतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार देश में 62-82 प्रतिशत पुरुष व 15-67 प्रतिशत महिलाएं किसी न किसी रूप में तम्बाकू-सेवन करते हैं।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के सहयोग से गोवा में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि 12 प्रतिशत स्कूली बच्चे तम्बाकू का सेवन करते हैं। बैंगलोर, दिल्ली, डिब्रुगढ़ और रांची में 20 वर्ष की उम्र से ज़्यादा के 56-64 प्रतिशत पुरुष व 14-43 प्रतिशत महिलाएं तम्बाकू सेवन करती हैं।

भारत में तम्बाकू का अर्थशास्त्र

तम्बाकू उत्पादन भारत का एक प्रमुख उद्योग है। भारत में तम्बाकू का वर्तमान सकल उत्पादन मूल्य 3600 करोड़ रुपए अनुमानित है। यहां 12 कम्पनियों की 20 फैक्टरियां सिगरेट निर्माण में संलग्न हैं। 1987 में केवल भारत में ही 7542 करोड़ सिगरेटों का उत्पादन हुआ जिनमें से 51 प्रतिशत फिल्टर युक्त थीं। सिगरेट उद्योग देश के 20,000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं कई हज़ार लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मुहैया कराता है।

बीड़ी उद्योग आज तकरीबन 30 लाख (प्रमुखतः ग्रामीण) लोगों के रोज़गार का सहारा है। भारत में बीड़ी का वार्षिक उत्पादन 550 अरब बीड़ी अनुमानित है। तम्बाकू न केवल धूम्रपान व चबाने हेतु अपितु नसवार एवं विभिन्न रसायनों के उत्पादन में भी काम आती है।

आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 1986-87 में उत्पाद शुल्क के रूप में खनिज तेल के बाद सबसे ज़्यादा राजस्व तम्बाकू उत्पादों से ही प्राप्त हुआ था। तम्बाकू उत्पाद विदेशी मुद्रा का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 1986-87 में शुद्ध तम्बाकू व बीड़ी, सिगरेट, नसवार, ज़र्दा एवं सुगंधित तम्बाकू जैसे तम्बाकू उत्पादों के निर्यात से 171.1 करोड़ रुपये देश में आए। इस सबके बावजूद दिलचस्प बात यह है कि भारत में एक सीमित मात्रा में तम्बाकू व उसके उत्पाद आयात भी किए जाते हैं। 1984-85 में 38 लाख रुपये मूल्य के तम्बाकू उत्पादों का आयात देश में किया गया।

तालिका 1

भारत में तम्बाकू के क्षेत्र, उत्पादन व उपज में वृद्धि

वर्ष	रकबा	उत्पादन	उपज
1949-64	1.66	2.79	0.96
1967-85	0.05	2.15	2.11
1949-85	0.70	2.16	1.47

तम्बाकू नियंत्रण क्यों

तम्बाकू सेवन को किसी ज़माने में काफी उपयोगी समझा जाता था। 19वीं व 20वीं सदी में अमरीका में दांत दर्द, स्कर्वी, मसूड़ों के रक्तस्राव, दांतों की सड़न से बचाव व दांतों की सफेदी के लिए व न्यूरेल्जिया (तंत्रिका-शूल) के उपचार के लिए तम्बाकू को दांतों पर मलते थे।

सबसे पहले भारत में तम्बाकू के दुष्परिणामों पर शोध 1902 में निबलॉक ने किया। उन्होंने देखा कि पूर्व राज्य मद्रास (वर्तमान तमिलनाडु) में कैंसर से पीड़ित लोगों में एक तिहाई मरीज़ गाल के कैंसर के शिकार थे। निबलॉक ने तम्बाकू सेवन को इसके कारण के रूप में पहचाना जो इस क्षेत्र में सामान्य सी बात थी।

सन् 1933 में एक केस कन्ट्रोल अध्ययन में तम्बाकू सेवन व मुंह के कैंसर के अंतर्सम्बंध उजागर हुए। इसके काफी बाद उत्तरप्रदेश के मैनपुरी ज़िले में अध्ययनों से पता चला कि जितनी जल्दी तम्बाकू खाने की लत पड़ती है, मुंह के कैंसर का खतरा उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। दूसरे प्रदेशों में भी कैंसर को बढ़ाने में तम्बाकू को ही कसूरवार ठहराया गया। मसलन बम्बई में बीड़ी फूंकने से मुख गुहा, श्वास नली और ग्रसिका कैंसर के खतरे के बीच सम्बंध पाया गया।

नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोजेक्ट व भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के तथ्यों ने यह प्रमाणित किया है कि पुरुषों में 50 प्रतिशत और महिलाओं में 20 प्रतिशत कैंसर तम्बाकू सेवन से ही होते हैं। भारत में हर साल प्रति 1 लाख पुरुषों में 20 से 30 पुरुष एवं 1 लाख महिलाओं में 12-14 महिलाएं कैंसर से पीड़ित होती हैं। यद्यपि तम्बाकू सेवन से मृत्यु दर बढ़ी है लेकिन इस हेतु कोई कारगर इलाज आज भी नहीं है। तम्बाकू से बचाव ही इन कैंसरों से बचाव है।

कैंसर के उपचार की वार्षिक लागत की तुलना अगर हम प्राथमिक रोकथाम पर अनुमानित खर्च से करें तो पाएंगे कि रोकथाम करने पर शुद्ध बचत 26.5 करोड़ रुपए की होगी।

जीर्ण ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों और सांस सम्बंधी रोग भी तम्बाकू सेवन से सीधा वास्ता रखते हैं। एक अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि बीड़ी और सिगरेट पीने वालों को हृदय रोग का खतरा तीन गुना ज़्यादा होता है।

तम्बाकू के खतरनाक परिणामों में नवजात शिशु का कम वज़नी होना, आकस्मिक गर्भपात, मृत शिशु जन्म व नवजात शिशु की मौत भी शामिल है। धूम्रपान करने वालों में मृत जन्म की दर 50 प्रति 1000 जन्म पाई गई है जबकि सिगरेट न पीने वालों में यह दर मात्र 17 होती है। धूम्रपान करने वाली माताओं के बच्चे सामान्य बच्चों की अपेक्षा 100-400 ग्राम तक कम भार के पाए गए।

अनेकों जैवरासायनिक अन्वेषणों ने तम्बाकू पदार्थों के दुष्परिणामों को सिद्ध किया है। उदाहरणस्वरूप दांतों और मसूड़ों पर मलने वाले मंजन और नसवार में कैंसरकारी पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन की मात्रा आश्चयर्जनक रूप से अधिक पाई गई। निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, वाष्पशील फीनॉल्स, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एक्रोलीन आदि हानिकारक रसायन तम्बाकू के धुएं में पाए गए हैं।

तम्बाकू उद्योग लगभग 2682 रुपए प्रति हेक्टेयर (120 करोड़ रुपए प्रति वर्ष) तम्बाकू क्योरिंग में खर्च करता है। इसमें से 70.3 करोड़ रुपए ईंधन में खर्च होते हैं। आंकड़े दर्शाते हैं कि तम्बाकू उद्योग में क्योरिंग हेतु अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की ज़रूरत होती है जिससे वनों की धुआंधार कटाई का अंदेशा रहता है।

सम्भावित समाधान

तम्बाकू नियंत्रण के सम्भावित उपायों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है :

1. सामाजिक पक्ष
2. औषधीय व मनोवैज्ञानिक पक्ष
3. आर्थिक फायदे और नुकसान
4. राजनैतिक संकल्प

सामाजिक पक्ष - तम्बाकू सेवन को एक समाज विरोधी आदत बताने के हर सम्भव प्रयास किए जाने चाहिए; चाहे वह घर हो, दफ्तर हो, कोई सार्वजनिक क्षेत्र या सभा हो। सिनेमाघरों, बसों, विद्यालयों व अस्पतालों जैसी बंद जगहों में धूम्रपान रोकने के लिए पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र व गुजरात जैसे कुछ राज्यों ने कड़े कानून लागू किए हैं। इण्डियन एयरलाइन्स की सभी उड़ानों में सिगरेट पीना मना है। ऑल इंडिया रेडियो में किसी भी प्रकार के तम्बाकू पदार्थों का विज्ञापन मना है।

तम्बाकू रहित समाज के सपने को पूरा करने के लिए अनेक कदम उठाए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए धूम्रपान न करने वाले युवाओं को तम्बाकू के खतरों से आगाह करने का काम बड़े पैमाने पर अभियान के ज़रिए करना चाहिए। जनसंचार माध्यम, गैरसरकारी संगठनों, महिला संगठनों,

नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोजेक्ट व भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के तथ्यों ने यह प्रमाणित किया कि पुरुषों में 50 प्रतिशत और महिलाओं में 20 प्रतिशत कैंसर तम्बाकू सेवन से ही होते हैं। कुछ अन्य रोग जैसे जीर्ण ब्रोंकाइटस, फेफड़ों और सांस सम्बंधी रोग तम्बाकू सेवन से सीधा वास्ता रखते हैं। एक अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि बीड़ी और सिगरेट पीने वालों को हृदय रोग का तीन गुना ज़्यादा खतरा होता है।

शैक्षणिक संस्थाओं, धार्मिक संगठनों व तीर्थस्थलों में तम्बाकू के प्रति सचेत कराते संदेशों को बहुतायत में लगाना चाहिए। स्वास्थ्य संगठनों के तम्बाकू रहित दिवस को विश्व भर में प्रचारित करना चाहिए।

औषधीय व मनोवैज्ञानिक पक्ष - निकोटीन की बहुत थोड़ी मात्रा (प्रतिदिन 0.002 मिलीग्राम प्रति किलो शारीरिक भार) में किए सेवन से भी आक्रामकता, द्वेष व झुंझलाहट जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। निकोटीन लत लगाने वाला पदार्थ है जो तम्बाकू छोड़ने पर कई तरह के लक्षण उत्पन्न करता है। इसमें नींद सम्बंधी गड़बड़ियां, दिमागी तरंगों के पैटर्न में फर्क, नब्ज़-गति में गिरावट, रक्तदाब, बेचैनी, आलस व अधीरता इत्यादि शामिल हैं।

तम्बाकू की लत को छुड़ाने के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श केन्द्रों की स्थापना अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। कई जगहों में तम्बाकू के रोकथाम की अपेक्षा इसके उपयोग में कमी लाने पर ध्यान केन्द्रित किया जा सकता है। संकल्प शक्ति के अभाव में व्यक्ति धूम्रपान पर ही निर्भर होकर रह जाता है; इसलिए ऐसे शोध किए जाने चाहिए जिससे इन तम्बाकू सेवनकर्ताओं की मनोवैज्ञानिक व शारीरिक ज़रूरतें पूरी हो सकें। निस्संदेह निष्क्रिय धूम्रपान (दूसरे के धूम्रपान के धुएं) का खतरा एक गहन सामाजिक मुद्दा है। आम जनता का एक बड़ा हिस्सा, तम्बाकू सेवन के उपरान्त ही शराब व ड्रग्स की चपेट में आता है।

आर्थिक पक्ष - चर्चा से यह स्पष्ट है कि देश की अर्थव्यवस्था को तम्बाकू से सकारात्मक व नकारात्मक दोनों तरह का योगदान मिलता है। लेकिन नुकसान फायदों से कहीं ज़्यादा हैं। मुनाफे तो साफ नज़र आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर रोज़गार, करों व विदेशी मुद्रा से आने वाला धन इत्यादि। पर तम्बाकू से होने वाले नुकसान अलग तरह से दिखते हैं। इनमें तम्बाकू सम्बंधी रोगों के इलाज का खर्च, शारीरिक क्षमता में आई गिरावट, शारीरिक अक्षमताएं व असमय मौत शामिल हैं। तम्बाकू क्योरिंग में लकड़ी के इस्तेमाल से पर्यावरण का विनाश और मिट्टी का कटाव आदि गंभीर आर्थिक नुकसान होते हैं।

एक मोटे अनुमान के मुताबिक तम्बाकू सम्बंधी तीन प्रमुख रोगों - कैंसर, हृदय रोग व फेफड़ों के इलाज में सरकार को हर साल 2419 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यह रकम तम्बाकू से मिलने वाले राजस्व से 685 करोड़ रुपए ज़्यादा है।

विश्व भर के अनुभव दर्शाते हैं कि धूम्रपान की लत को छुड़वाने का एक प्रभावी माध्यम तम्बाकू उत्पादों के मूल्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि है। अतः भारत में भी तम्बाकू पदार्थों के मूल्य को धीरे-धीरे बढ़ाया जाना एक सही कदम सिद्ध हो सकता है।

राजनैतिक संकल्प - राष्ट्रीय स्तर के किसी भी कार्यक्रम के सफल होने में राजनैतिक व प्रशासनिक मदद मूलभूत ज़रूरत होती हैं। राजनैतिक व प्रशासनिक अधिकारियों को तम्बाकू सम्बंधी परेशानियों के विकराल रूप से अवगत कराया जाना चाहिए। इससे तम्बाकू नियंत्रण सम्बंधी कानूनी कदमों का कड़ाई से पालन हो सकेगा। वैज्ञानिकों, राजनीतिज्ञों व प्रशासनिक अधिकारियों के आपसी सामंजस्य से राजनैतिक संकल्प को मज़बूती दी जा सकती है।

निकोटीन की बहुत थोड़ी मात्रा (प्रतिदिन 0.002 मिलीग्राम प्रति किलो शारीरिक भार) में किए सेवन से भी आक्रामकता, द्वेष व झुंझलाहट जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। निकोटीन एक आदी करने वाला पदार्थ है जो तम्बाकू छोड़ने पर कई तरह के लक्षण उत्पन्न करता है। तम्बाकू की लत को छुड़ाने के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श केन्द्रों की स्थापना अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।

तम्बाकू नियंत्रण के लिए व्यापक कार्यक्रम

1. तम्बाकू निषेध के कठोर कानूनों का कड़ाई से पालन।
2. तम्बाकू उत्पादों के मूल्यों में क्रमिक वृद्धि।
3. तम्बाकू की खेती की जगह कोई और फसल।
4. तम्बाकू के वैकल्पिक उपयोग।
5. तम्बाकू उत्पादों में परिवर्तन लाकर उन्हें कम हानिकारक बनाना।
6. लोगों को तम्बाकू से बचाने के लिए एक विस्तृत स्वास्थ्य शिक्षा अभियान चलाना।
7. सार्वजनिक क्षेत्रों में निष्क्रिय धूम्रपान से धूम्रपान न करने वालों को बचाना।
8. तम्बाकू उत्पाद के विज्ञापनों को सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबंधित करना। धूम्रपान की ओर आकृष्ट करने वाले दृश्यों को फिल्मों, दूरदर्शन व टी.वी. सीरियलों से हटाया जाना।
9. 18 वर्ष से कम उम्र के ग्राहकों को तम्बाकू उत्पाद खरीदने पर कानूनी रोक।
10. सिगरेट व बीड़ियों को खुले के बजाय पैकिट में बेचना।
11. शिक्षा, स्वास्थ्य व धार्मिक संस्थानों के इर्द-गिर्द तम्बाकू की बिक्री पर रोक
12. तम्बाकू के आयात पर प्रतिबंध।

भारत सरकार के प्रयास

तम्बाकू के उपयोग से होने वाली स्वास्थ्य सम्बंधी बीमारियों के विशाल परिमाण को देखकर भारत सरकार ने सिगरेट अधिनियम, 1975 (उत्पादन में नियंत्रण, सप्लाई और वितरण) को लागू करने की कोशिश की। सिगरेट के हर पैकिट पर 'धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है' की वैधानिक चेतावनी देना अनिवार्य है। इस पहल से भी धूम्रपान की लत को छुड़ा पाना सम्भव न हो सका क्योंकि -

1. वैधानिक चेतावनी केवल सिगरेट के पैकिटों पर सीमित होकर रह गई, जिसकी खपत सस्ती और हानिकारक बीड़ी से कहीं कम होती है।
2. मुद्रित चेतावनी केवल साक्षरों द्वारा पढ़ी जा सकती है।

यह बात रखी गई कि-

1. इस वैधानिक चेतावनी को अन्य तम्बाकू उत्पादों पर भी लागू किया जाए।
2. चेतावनी को स्थानीय भाषाओं में मुद्रित किया जाए।
3. चेतावनी को चित्रों के माध्यम से प्रभावी बनाया जाए जैसे खतरे का निशान इत्यादि।

तम्बाकू से कैंसर व हृदय रोग हो सकता है ऐसा स्थानीय भाषाओं में लिखना काफी मददगार हो सकता है। निकोटीन व टार की मात्रा को सिगरेट के पैकिटों व बक्सों में अंकित किया जाए। साथ ही हर तम्बाकू उत्पाद में इन ज़हरीले अवयवों की एक अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए। टार व निकोटीन के अधिक होने पर उस तम्बाकू उत्पाद पर अधिकाधिक कर वसूले जाएं। सिगरेट व बीड़ी दोनों में ही प्रभावशाली फिल्टर लगाए जाएं।

1984 में लूथरा-बिष्ट कमेटी के सुझावानुसार एक राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम बनाया गया ताकि तम्बाकू रहित समाज के संकल्प को मज़बूती मिल सके। तम्बाकू जन्य कैंसर इस देश में होने वाले कैंसरों का 1/3 हिस्सा है। तम्बाकू सम्बंधी कैंसरों की रोकथाम को इस कार्यक्रम ने पहला उद्देश्य बनाया। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण बोर्ड व राज्य कैंसर नियंत्रण बोर्ड ने भी तम्बाकू के विरुद्ध शैक्षणिक कार्यक्रम से तम्बाकू के उपयोग पर नियंत्रण को प्राथमिकता दी थी। आज की तारीख में 17 राज्यों ने ऐसे कैंसर नियंत्रण बोर्ड स्थापित किए हैं।

माना जा रहा है कि उपरोक्त सरकारी कोशिशों से सुधार तो हुआ है किन्तु तम्बाकू की लत पर करारा झटका नहीं पड़ा। तम्बाकू नियंत्रण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम बनाना ज़रूरी है। ***(स्रोत विशेष फीचर्स)***